



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268753
CG-DL-E-23122025-268753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5745]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 5745]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5942(अ).—केन्द्रीय सरकार, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 24 दिसम्बर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी, अर्थात्:-

- (क) धारा 1 की उपधारा (3);
- (ख) धारा 2;
- (ग) धारा 4 और धारा 5;
- (घ) धारा 27 से धारा 29 [दोनों को सम्मिलित करते हुए] ;
- (ङ) धारा 31 से धारा 41 [दोनों को सम्मिलित करते हुए] ; और
- (च) धारा 44 से धारा 46 [दोनों को सम्मिलित करते हुए] ।

[फा. सं. एसवाई-19014/70/2024-एसबीआर-भाग(4) (सीएन:377623)]

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2025

S.O. 5942(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019), the Central Government hereby appoints the 24th day of December, 2025 as the date on which provisions of the following sections of the said Act shall come into force, namely:-

- (a) sub-section (3) of section 1;
- (b) section 2;
- (c) sections 4 and 5;
- (d) sections 7 to 29 [both inclusive];
- (e) sections 31 to 41 [both inclusive]; and
- (f) sections 44 to 46 [both inclusive].

[F. No. SY-19014/70/2024-SBR-Part(4) (CN: 377623)]

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy.